Child Safe
Organisations
National Principles

National Principles for Child Safe Organisations

An initiative of the Council of Australian Governments

ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग इस प्रकाशन में प्रस्तुत जानकारी के प्रसार और आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है ऑस्ट्रेलियाई सरकार मुक्त पहुँच और लाइसेंस फ्रेमवर्क (AusGOAL) के उपयोग का समर्थन करती है।

इस प्रकाशन में प्रस्तुत सभी सामग्री Creative Commons Attribution 4.0 अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस के अधीन है, सिवाय:

- फोटोग्राफ और छवियाँ;
- कमीशन का लोगो, ब्रांडिंग या ट्रेडमार्क;
- तृतीय पक्ष द्वारा प्रदान विषय वस्तु या सामग्री; और
- जहाँ अन्यथा बताया गया हो।

इस लाइसेंस की प्रति देखने के लिए, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode पर जाएँ

संक्षेप में, आप प्रकाशन की प्रति बनाने, उसे संचारित और अनुकूलित करने के लिए स्वतंत्र हैं जब तक आप ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग को श्रेय देते हैं और अन्य लाइसेंस नियमों का पालन करते हैं।

कृपया निम्न को अधिकार दें:
© ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग 2018

अभिस्वीकृति:
ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग स्वीकार करता है कि बच्चों के लिए सुरक्षित संगठनों हेतु राष्ट्रीय सिद्धांत प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया सरकार के सामाजिक सेवा विभाग द्वारा वित्त पोषित है और राष्ट्रीय सिद्धांत सभी न्यायक्षेत्रों के सामुदायिक सेवा मंत्रियों की निगरानी और मार्गदर्शन के अधीन तैयार किए गए हैं।

आगे की जानकारी:
इस प्रकाशन में कॉपीराइट के बारे में आगे की जानकारी के लिए, कृपया इनसे संपर्क करें:
Communications Unit
Australian Human Rights Commission
GPO Box 5218
SYDNEY NSW 2001
टेलीफ़ोन: (02) 9284 9600
ईमेल: communications@humanrights.gov.au

प्राक्कथन

बाल यौन उत्पीड़न के प्रति संस्थागत प्रतिक्रियाओं के लिए शाही आयोग (रॉयल कमीशन) ने ऑस्ट्रेलिया के संस्थानों में बच्चों के प्रति चौंकाने वाले दुर्व्यवहार को उजागर किया।

आयोग ने पूरे देश में संगठनों को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कार्यवाही करने की अनुशंसा की।

बच्चों के लिए सुरक्षित संगठनों हेतु राष्ट्रीय सिद्धांत (राष्ट्रीय सिद्धांत) का विकास इन अनुशंसाओं के जवाब में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुधार है।

सिद्धांतों को सभी कॉमनवेल्थ, राज्य और प्रदेश सरकारों का समर्थन प्राप्त है।

वे बच्चों के साथ काम करने वाले संगठनों में बाल सुरक्षा संस्कृति अंतः स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय रूप से समनुरूप दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, और बाल सुरक्षा मानकों से संबंधित सभी शाही आयोग अनुशंसाओं को प्रभाव में लाने के साधन के रूप में काम करते हैं।

मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने राष्ट्रीय सिद्धांतों और उनके साथ की मार्गदर्शन सामग्री विकसित करने में योगदान दिया।

राष्ट्रीय सिद्धांतों के विकास का नेतृत्व *ऑस्ट्रेलिया के बच्चों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2009-2020 के लिए तृतीय कार्य योजना 2015-2018* के अधीन पूरे ऑस्ट्रेलिया में समुदाय सेवा मंत्रियों और राष्ट्रीय बाल कमीशनर, मीगन मिचेल द्वारा बच्चों के साथ काम करने वाले व्यापक क्षेत्रों के साथ परामर्श में किया गया।

प्रमुख पैरोकार समूहों और शैक्षणिक समुदायों के प्रतिनिधियों, साथ ही साथ स्वयं बच्चों और युवा लोगों ने भी योगदान दिया।

ऑस्ट्रेलिया के बच्चों की सुरक्षा बेहतर ढंग से करने के लिए राष्ट्रीय सिद्धांतों को अपनाना एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्कॉट मॉरिसन
प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलियाई सरकारों के परिषद का अध्यक्ष

प्रस्तावना

पूरे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे संगठन बच्चों और युवा लोगों के साथ काम करते हैं। ये छोटे और समुदाय आधारित, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब या प्लेग्रुप जिसमें परिवार और समुदाय के सदस्य स्वैच्छिक ढंग से योगदान देते हैं, से लेकर स्कूल, अस्पताल और चर्च जैसे अधिक व्यवस्थित संरचनाएँ हो सकते हैं। कुछ ऐसे व्यवसाय या संगठन भी हो सकते हैं जो बच्चों और युवा लोगों को सेवाएँ प्रदान करने और उनके साथ काम करने के लिए कर्मचारी और/या स्वयंसेवकों को नौकरी में रखते हैं। कुछ तो राज्य की सीमाओं से परे भी काम कर सकते हैं।

2013 में, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उन मामलों के बारे में व्यापक रिपोर्ट के प्रति समुदाय की चिंताओं के जवाब में बाल यौन उत्पीड़न के प्रति संस्थागत प्रतिक्रिया पर शाही आयोग (रॉयल कमीशन) स्थापित किया जिसमें ऑस्ट्रेलियाई संस्थान बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने में असफल हुए। कमीशन की अंतिम अनुशंसाओं ने जोर दिया कि जनता, बच्चे और युवा लोग, माता-पिता, देखभालकर्ताओं, परिवारों और समुदायों को इस बारे में आत्मविश्वास महसूस करना चाहिए कि बच्चों के साथ काम करने वाले संगठन ऐसे सुरक्षित परिवेश प्रदान करते हैं जिसमें बच्चों के अधिकार, जरूरतें और हित पूरे होते हैं।

राष्ट्रीय सिद्धांत रॉयल कमीशन के कार्य, ऑस्ट्रेलिया के बाल कमीशनर व अभिभावक के कार्य, तथा बच्चों के लिए सुरक्षित परिवेश निर्माण हेतु राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2005 पर आधारित हैं।

वे ऑस्ट्रेलियाई समाज के उन सभी क्षेत्रों में बच्चों के लिए सुरक्षित संस्कृति अंतः स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जिसमें बच्चे शामिल होते हैं।

बाल अधिकार दृष्टिकोण द्वारा समर्थित तथा रॉयल कमीशन द्वारा अनुशंसित मानकों पर आधारित, राष्ट्रीय सिद्धांत क्षमता निर्माण करने के लिए तथा संगठनों, परिवारों और समुदायों में बाल सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक प्रकार, आकार और क्षमताओं के क्रियान्वयन और पहचान में लचीलापन प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय सिद्धांत उच्च स्तर पर 10 तत्वों को रेखांकित करते हैं जो संगठन को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय सिद्धांत मूल निवासियों और टोरेस स्ट्रेट आइलैंड के बच्चों और युवा लोगों के लिए सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित परिवेशों और कार्यप्रणालियों की महत्ता पर ज़ोर देते हैं। मूल निवासियों और टोरेस स्ट्रेट आइलैंड के परिवारों और समुदायों द्वारा उन सेवाओं का उपयोग करने की संभावना अधिक है जो सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित हैं और वे ऐसी सेवाओं में बेहतर परिणाम पाते हैं। इसमें संगठनों के मूल निवासियों और टोरेस आइलैंड के बच्चों और उनके परिवारों को शामिल करने के तरीके में सुधार करना, पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक आघात के प्रभाव की पहचान करना, और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना शामिल है।

राष्ट्रीय सिद्धांत सामूहिक रूप से दिखाते हैं कि बच्चों के लिए सुरक्षित संगठन वह होता है जो बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने तथा बच्चों और युवा लोगों को नुकसान से बचाने के लिए संस्कृति विकसित करता है, रणनीतियाँ अपनाता है और कार्यवाहियाँ करता है। बच्चों के लिए सुरक्षित संगठन जानबूझ कर और व्यवस्थित ढंग से:

- ऐसा परिवेश बनाते हैं जिसमें बच्चों की सुरक्षा और कल्याण विचार, मूल्य और कार्यों के केंद्र में होता है
- बच्चों के साथ असली सहभागिता, और महत्व पर ज़ोर देते हैं
- ऐसी परिस्थितियाँ बनाते हैं जिसमें बच्चों और युवा लोगों को नुकसान की संभावना कम होती है
- ऐसी परिस्थितियाँ बनाते हैं जिसमें नुकसान की पहचान करने की संभावना बढ़ जाती है
- चिंताओं, प्रकटीकरण, आरोपों या संदेहों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं

पूरे ऑस्ट्रेलिया में किसी संस्थान या संगठन में राष्ट्रीय बाल सुरक्षा सिद्धांतों को अपनाना और लागू करना, जिसमें बच्चे शामिल हों, बाल सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने की ओर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

बाल सुरक्षा का चक्र

Committed leadership, governance and culture
Children and young people are safe, informed and actively participate in the organisation
Families and communities involved in safety settings
Equity upheld and diversity respected
Robust recruitment and screening
Effective complaints management
Ongoing education and training
Safe physical and online environments
Regular improvement
Child safety and wellbeing policies and procedures
Safe, happy and engaged children

बच्चों के लिए सुरक्षित संगठनों हेतु राष्ट्रीय सिद्धांत

1. बाल सुरक्षा और कल्याण संगठनात्मक नेतृत्व, संचालन और संस्कृति में अंतःस्थापित है।
2. बच्चों और युवा लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित किया जाता है, वे उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों में भागीदारी करते हैं और उन्हें गंभीरता से लिया जाता है।
3. परिवारों और समुदायों को बाल सुरक्षा और कल्याण के बारे में बताया जाता है और वे उनमें शामिल होते हैं।
4. नीति और व्यवहार में निष्पक्षता को कायम रखा जाता है और विविधतापूर्ण जरूरतों का सम्मान किया जाता है।
5. बच्चों और युवा लोगों के साथ काम करने वाले लोग बाल सुरक्षा और कल्याण मूल्यों को व्यवहार में दर्शाने के लिए उपयुक्त और समर्थित होते हैं।
6. शिकायतों और चिंताओं पर प्रतिक्रिया करने हेतु प्रक्रियाएँ बच्चों पर केंद्रित होती हैं।
7. कर्मचारी और स्वयंसेवक निरंतर शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों और युवा लोगों को सुरक्षित रखने के ज्ञान, कौशल और जागरूकता से लैस होते हैं।
8. वास्तविक और ऑनलाइन परिवेश बच्चों और युवा लोगों को नुकसान पहुँचाने वाले अवसरों को कम करते हुए सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देते हैं।
9. राष्ट्रीय बाल सुरक्षा सिद्धांतों के क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा और सुधार की जाती है।
10. नीतियाँ और प्रक्रियाएँ दस्तावेजीकरण करती हैं कि संगठन किस प्रकार बच्चों और युवा लोगों के लिए सुरक्षित है।

मार्गदर्शन

ऑस्ट्रेलिया ने बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CRC) की 1990 में अभिपुष्टि की। सम्मेलन के अंतर्गत, बच्चों के, वयस्कों के समान, मानवाधिकार होते हैं। उनके पास शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति अरक्षितता के कारण विशेष सुरक्षा के अधिकार भी होते हैं। सम्मेलन के अंतर्गत, बच्चे अट्ठारह वर्ष से कम आयु वाले मानव के रूप में परिभाषित हैं।

निम्नलिखित पृष्ठ पूरे ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के साथ काम करने वाले सभी संगठनों में राष्ट्रीय सिद्धांत अपनाने का समर्थन करने वाले प्रत्येक सिद्धांत पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

प्रत्येक सिद्धांत के लिए, मार्गदर्शन:

- सिद्धांत का प्रयोजन और मुख्य तत्व प्रदान करते हैं
- प्रमुख कार्य क्षेत्र प्रदान करते हैं, यह दर्शाते हुए कि संगठनों को बाल सुरक्षा की संस्कृति विकसित करने के लिए किन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है
- दर्शाते हैं कि सिद्धांत कायम है, उन संकेतों का व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करते हुए कि सिद्धांत प्रभावी ढंग से स्थापित है
- CRC के प्रासंगिक अनुच्छेदों के उदाहरणों के संदर्भ प्रदान करता है।

यह मार्गदर्शन संगठनों को राष्ट्रीय सिद्धांत निरंतर और प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता करने के लिए अभिप्रेत है। इसे श्रेष्ठ कार्यप्रणाली गाइड के रूप में प्रदान किया जाता है और यह विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक प्रकार, आकार और क्षमताओं के क्रियान्वयन और पहचान में लचीलापन प्रदान करता है।

संस्थानों में राष्ट्रीय सिद्धांतों के क्रियान्वयन में सहायता करने वाले टूल्स और संसाधनों का समूह बाल सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर पाया जा सकता है।
(https://pmc.gov.au/domestic-policy/national-office-child-safety).

सिद्धांत 1

बाल सुरक्षा और कल्याण संगठनात्मक नेतृत्व, संचालन और संस्कृति में अंतःस्थापित है।

बाल अधिकार पर सम्मेलन (CRC) का अनुच्छेद 3: वयस्कों को वह करना चाहिए जो बच्चों के लिए श्रेष्ठ हो। जब वयस्क निर्णय लेते हैं, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि उनके निर्णय बच्चों को कैसे प्रभावित करेंगे।

यह सिद्धांत बच्चों और युवा लोगों के लिए समावेशी और स्वागत करने वाले परिवेशों, जवाबदेही की संस्कृति तथा बच्चों के लिए सुरक्षित संस्कृति विकसित करने और कायम रखने के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए संगठनात्मक नेतृत्व और संचालन की भूमिका पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

इस सिद्धांत को अपनाना दिखाता है कि संगठन के सभी स्तरों में बाल सुरक्षा और कल्याण के लिए संगठन प्रतिबद्ध है। संचालन व्यवस्थाएँ पारदर्शी होती हैं और उनमें बाल सुरक्षा और कल्याण नीति, कार्यप्रणाली मार्गदर्शन, आचार संहिता और जोख़िम प्रबंधन फ्रेमवर्क शामिल होते हैं। संचालन व्यवस्थाएँ संगठन के प्रकार, प्रकृति और आकार के अनुसार भिन्न होती हैं। संगठनात्मक नेतृत्व बच्चों और युवा लोगों के लिए जोख़िम के बारे में जानकारी साझा करने के लिए प्राधिकृत करने वाला परिवेश प्रदान करता है।

मुख्य कार्यवाही क्षेत्र:

1.1 संगठन बच्चों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक प्रतिबद्धता करता है।

1.2 बाल सुरक्षा संस्कृति का संगठन के सभी स्तरों पर ऊपर से लेकर नीचे तक समर्थन किया जाता है और प्रतिरूप बनाया जाता है।

1.3 संचालन व्यवस्थाएँ हर स्तर पर बाल सुरक्षा और कल्याण के क्रियान्वयन को आसान बनाती हैं।

1.4 आचार संहिता कर्मचारी और स्वयंसेवकों को अपेक्षित आचरण मानकों और उत्तरदायित्वों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है।

1.5 जोख़िम प्रबंधन रणनीतियाँ बच्चों और युवा लोगों के जोख़िम की रोकथाम, पहचान और उन्हें कम करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

1.6 कर्मचारी और स्वयंसेवक जानकारी साझाकरण और रिकॉर्डकीपिंग पर अपनी बाध्यताओं को समझते हैं।

संकेत कि यह सिद्धांत कायम रखा गया है:

- संगठन प्रदर्शित कर सकते हैं कि उनके पास सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और नवीनतम दस्तावेज़ हैं जैसे कि बाल सुरक्षा और कल्याण नीति, कार्यप्रणाली मार्गदर्शन, जानकारी साझाकरण प्रोटोकॉल, कर्मचारी और स्वयंसेवक आचार संहिता तथा जोख़िम प्रबंधन रणनीतियाँ।
- संगठनात्मक नेतृत्व उन रवैयों और आचरणों का प्रतिरूप बनाता है और उन्हें नियमित रूप से सुदृढ़ करता है जो बच्चों और युवा लोगों की तथा बाल सुरक्षा, बाल कल्याण और सांस्कृतिक सुरक्षा की कद्र करते हैं। यह प्रतिबद्धता कर्तव्य विवरण, प्रदर्शन अनुबंधों तथा कर्मचारी और स्वयंसेवक समीक्षा प्रक्रियाओं में स्पष्ट है।
- कर्मचारी, स्वयंसेवकों, बच्चों और युवा लोगों को बच्चों के अधिकारों, जिसमें उनके सुरक्षित महसूस करने और सुने जाने का अधिकार, और इन अधिकारों से जुड़े उत्तरदायित्व शामिल है, का बढ़िया ज्ञान होता है।
- लीडर बच्चों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित अच्छी कार्यप्रणालियाँ और शिक्षाएँ साझा करने को बढ़ावा देते हैं

सिद्धांत 2

बच्चों और युवा लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित किया जाता है, वे उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों में भागीदारी करते हैं और उन्हें गंभीरता से लिया जाता है।

CRC का अनुच्छेद 12: बच्चों को अपनी राय बताने का अधिकार होता है, और वयस्कों को उन्हें सुनना और गंभीरता से लेना चाहिए।

यह सिद्धांत ऐसी संगठनात्मक संस्कृति का वर्णन करता है जो बाल सुरक्षा और कल्याण का मतलब समझने के लिए बच्चों और युवा लोगों का समर्थन करती है। वे अपनी उम्र के अनुसार उचित तरीके से अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में सूचित होते हैं। वे ऐसी संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण में योगदान देते हैं और सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं जो उनके लिए सुरक्षित हो।

बच्चे और युवा लोग संगठन की बाल सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के बारे में जानते हैं और प्रासंगिक जानकारी और कार्यक्रमों का उपयोग करते हैं। वे सुरक्षित परिवेशों की पहचान करते हैं और सुरक्षात्मक रणनीतियों को समझते हैं। ऐसे परिवेशों में, बच्चे और युवा लोग निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने तथा अपने विचार और चिंताएँ जाहिर करने में सहज महसूस करते हैं। अंततः, हालाँकि, संगठन में बाल सुरक्षा और कल्याण का उत्तरदायित्व संगठन और उसके कामगारों का होता है।

कर्मचारी और स्वयंसेवक बच्चों और युवा लोगों की पहचान और संस्कृति को अहमियत देते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ काम करने में सहज महसूस करते हैं और उनमें कुशल होते हैं, उनकी विकास संबंधी जरूरतों को समझते हैं तथा बच्चों और युवा लोगों की ताकतों और क्षमताओं को आधार बनाकर आगे के काम करते हैं।

मुख्य कार्यवाही क्षेत्र:

2.1 बच्चे और युवा लोग अपने सभी अधिकारों, सुरक्षा, जानकारी, और भागीदारी के अधिकार समेत, के बारे में सूचित होते हैं।

2.2 दोस्ती के महत्व का सम्मान किया जाता है और दोस्तों की सहायता को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि बच्चों और युवा लोगों को सुरक्षित महसूस करने और कम अलग-थलग पड़ने में सहायता कर सके।

2.3 जहाँ सेटिंग या संदर्भ के लिए प्रासंगिक हो, बच्चों को यौन उत्पीड़न रोकथाम कार्यक्रम तथा प्रासंगिक संबंधित जानकारी तक पहुँच उनकी उम्र के अनुसार उपयुक्त तरीके से प्रदान किया जा सकता है।

2.4 कर्मचारी और स्वयंसेवक नुकसान के संकेतों से अभ्यस्त होते हैं तथा बच्चों के अपने विचार व्यक्त करने, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने और अपनी चिंताएँ जाहिर करने के बाल सुलभ तरीकों को आसान बनाते हैं।

संकेत कि यह सिद्धांत कायम रखा गया है:

- संगठन में बच्चों और युवा लोगों को उनके अधिकारों, उनके सुरक्षा के अधिकार और सुने जाने के अधिकार समेत, के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम और संसाधन होते हैं।
- संगठन बच्चों और युवा लोगों के विचार नियमित रूप से प्राप्त करने और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु उम्र के मुताबिक उचित प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करने के मामले में अग्रसक्रिय होता है।
- कर्मचारी और स्वयंसेवकों को बच्चों और युवा लोगों की विकास संबंधी जरूरतों की अच्छी समझ होती है।
- भागीदारी के अवसर दस्तावेजीकृत किए जाते हैं और उनकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।
- संगठनात्मक परिवेश बच्चों और युवा लोगों के लिए दोस्ताना और स्वागत करने वाला होता है।

- बच्चे और युवा लोग संगठन में निर्णय प्रक्रिया, सुरक्षा समस्याओं और जोख़िम पहचान के संबंध में समेत, में भाग लेते हैं।
- बच्चे और युवा लोग विश्वसनीय वयस्कों और दोस्तों की पहचान कर सकते हैं।
- बच्चे और युवा लोग अपने दोस्तों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने हेतु मदद करने में अपनी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के बारे में सूचित होते हैं।

सिद्धांत 3

परिवारों और समुदायों को बाल सुरक्षा और कल्याण के बारे में बताया जाता है और वे उनमें शामिल होते हैं।

CRC का अनुच्छेद 5: परिवारों की जिम्मेदारी होती है कि वे बच्चों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल सीखने, और यह सुनिश्चित करने के लिए मदद करें कि उनके अधिकार सुरक्षित रहे ।

यह सिद्धांत उन तरीकों को रेखांकित करता है जिनमें संगठन परिवारों और समुदायों को उनके बाल सुरक्षा और कल्याण, प्रासंगिक नीतियों और कार्यप्रणालियों तथा पहुँच योग्य जानकारी के प्रावधान के प्रति दृष्टिकोण में शामिल कर सकता है। यह माता-पिता और देखभालकर्ताओं को बच्चों और युवा लोगों की सुरक्षा के बारे में सूचित करने और उनके फ़ीडबैक और इनपुट को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। उन्हें बाल सुरक्षा और कल्याण के बारे में आवाज उठाने व बातचीत शुरू करने तथा इस संबंध में सशक्त बनाया जाएगा कि वे अपनी समस्याएँ और चिंताएँ कैसे और कब व्यक्त कर सकते हैं।

परिवारों की अपने बच्चों के लालन-पालन की प्रमुख जिम्मेदारी होती है, और वे अपने बच्चों के प्राथमिक सुरक्षा नेटवर्कों के बारे में जानते हैं। परिवारों की संरचना, बच्चे के जीवन में परिवार के विभिन्न सदस्यों की भूमिका, उनकी पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों में बहुत विभिन्नता होती है। परिवार और देखभालकर्ता अपने बच्चों की जरूरतों और क्षमताओं के बारे में सलाह देने के लिए सबसे बढ़िया स्थिति में होते हैं और संगठनों को बच्चों के लिए सुरक्षित कार्यप्रणालियों और परिवेशों के बारे में सूचित कर सकते हैं। सुरक्षित परिवेश में, बच्चे, युवा लोग, परिवार और समुदाय के सदस्य महसूस करते हैं कि उनकी संस्कृति और पहचान को सम्मान दिया जाता है।

मुख्य कार्यवाही क्षेत्र:

3.1 परिवार अपने बच्चों को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेते हैं।

3.2 संगठन परिवारों और समुदायों को अपने बाल सुरक्षा दृष्टिकोण में शामिल करता है और उनके बारे में खुल कर बताता है तथा प्रासंगिक जानकारी पहुँच योग्य होती है।

3.3 परिवारों और समुदायों की संगठन की नीतियों और कार्यप्रणालियों के विकास और समीक्षा में अपनी राय होती है।

3.4 माता-पिताओं, देखभालकर्ताओं और समुदायों को संगठन के संचालनों और प्रशासन के बारे में बताया जाता है।

संकेत कि यह सिद्धांत कायम रखा गया है:

- संगठन परिवारों और समुदायों की जरूरतों, सांस्कृतिक सुरक्षा पहलू समेत, के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- संगठन परिवारों और समुदायों के लिए अवसर उत्पन्न करते हैं ताकि वे संगठन के काम करने के तरीके में, अपने बच्चों की भागीदारी और फ़ीडबैक प्रोत्साहित करने समेत, शामिल हो सकें।
- संगठन के पास परिवारों और समुदायों के लिए संगठन के संचालन और नीतियों के बारे में, बाल सुरक्षा और कल्याण नीति, आचार संहिता, रिकॉर्डकीपिंग कार्यप्रणालियाँ तथा शिकायतें और जाँच-पड़ताल प्रक्रिया समेत, स्पष्ट और पहुँच योग्य जानकारी होती है।
- संगठन बाल सुरक्षा और कल्याण के मामलों में परिवारों और समुदायों से फ़ीडबैक प्राप्त करने की कोशिश करता है और उसे अपनी नीतियों और कार्यप्रणालियों में शामिल करता है।
- संगठन उन दृष्टिकोणों के साथ काम करता है और उनका समर्थन करता है जो भागीदारी और सम्मानपूर्ण संबंध के माध्यम से सांस्कृतिक सुरक्षा का निर्माण करते हैं।

सिद्धांत 4

नीति और व्यवहार में निष्पक्षता को कायम रखा जाता है और विविधतापूर्ण जरूरतों का सम्मान किया जाता है।

CRC का अनुच्छेद 2: सभी बच्चों के अधिकार होते हैं, भले ही वे कोई भी हों, कहीं भी रहते हों, उनके माता-पिता कुछ भी करते हों, वे कोई भी भाषा बोलते हों, उनका धर्म कुछ भी हो, उनका लिंग कुछ भी हो, उनकी संस्कृति कुछ भी हो, चाहे वे अक्षम हों, चाहे वे अमीर हों या गरीब हों।

नीति और व्यवहार में निष्पक्षता को कायम रखा जाता है और विविधतापूर्ण जरूरतों का सम्मान किया जाता है।

यह सिद्धांत जाँचता है कि बच्चों और युवा लोगों की विविधतापूर्ण परिस्थितियों को स्वीकार करना किस प्रकार संगठन को बाल केंद्रित तरीके से काम करने में सक्षम बनाता है तथा बच्चों और युवा लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से भागीदारी करने हेतु सशक्त बनाता है। यह ऐसी संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण करता है जो बच्चों की ताकतों और व्यक्तिगत विशेषताओं को स्वीकारता है, और सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं, लिंग, या सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बगैर अपनाता है।

स्वागत करने वाला संगठन वह होता है जिसमें सभी बच्चे और युवा लोग सहज महसूस करते हैं और जहाँ सेवाएँ सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित और समावेशी तरीके से प्रदान की जाती हैं। यह भेदभाव, बहिष्कार, डराना-धमकाना और दुर्व्यवहार के खतरे को कम करता है।

मुख्य कार्यवाही क्षेत्र:

4.1 संगठन, कर्मचारी और स्वयंसेवक समेत, बच्चों और युवा लोगों की विविधतापूर्ण परिस्थितियों को समझता है, और असुरक्षित लोगों को सहायता प्रदान करता है और उनको प्रतिक्रिया देता है।

4.2 बच्चों और युवा लोगों को सूचना, सहायता और शिकायतें तक इस प्रकार पहुँच प्राप्त होती है जो सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित, पहुँच योग्य और समझने में आसान हो।

4.3 संगठन मूल निवासियों और टोरेस स्ट्रेट आइलैंड के बच्चों, अक्षमता वाले बच्चों, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि वाले बच्चों, वे जो अपने घर में रहने में असमर्थ हैं, और समलैंगिक लड़की, समलैंगिक लड़का, उभयलिंगी, विपरीतलिंगी और मध्यलिंगी बच्चे और युवा लोगों पर विशेष रूप से ध्यान देता है।

संकेत कि यह सिद्धांत कायम रखा गया है:

- संगठन में विशिष्ट नीतियाँ स्थापित हैं जो समता को बढ़ावा देती हैं और सभी बच्चों और युवा लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विविधता का सम्मान करती हैं।
- संगठन पहुँच योग्य भाषा और प्रारूप में बच्चों के लिए अनुकूल ऐसी सामग्री तैयार करता है जो समावेशन को बढ़ावा देती है तथा सभी बच्चों और युवा लोगों को उनके लिए उपलब्ध सहायता और शिकायत प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करती है।
- बोर्ड के सदस्य, कर्मचारी और स्वयंसेवक उन रवैयों और आचरणों का समर्थन करते हैं जो सभी बच्चों और युवा लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं, और विविध जरूरतों के प्रति समावेशी, आगाह और प्रतिक्रियाशील होते हैं।
- बोर्ड के सदस्य, कर्मचारी और स्वयंसेवक दर्शाते हैं कि भेदभाव और बहिष्कार, चाहे जानबूझ कर हो या अनजाने में, किस प्रकार सुरक्षित और समावेशी संस्कृति के खिलाफ काम कर सकते हैं और वे इसे संबोधित करने के लिए अग्रसक्रिय रणनीतियाँ विकसित करते हैं।
- कर्मचारी और स्वयंसेवक विविधतापूर्ण जरूरतों वाले बच्चों और युवा लोगों की प्रभावी ढंग से पहचान करने और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित होते हैं।

सिद्धांत 5

बच्चों और युवा लोगों के साथ काम करने वाले लोग बाल सुरक्षा और कल्याण मूल्यों को व्यवहार में दर्शाने के लिए उपयुक्त और समर्थित होते हैं।

CRC का अनुच्छेद 3.3: बच्चों को संगठन में स्थापित मानकों, ख़ासकर सुरक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारी की संख्या और उपयुक्तता, साथ ही साथ पर्यवेक्षण के क्षेत्र में, के बारे में आश्वस्त महसूस करना चाहिए।

यह सिद्धांत उन भर्ती और कर्मचारी विकास नीतियों, उपयुक्त जाँच समेत, का वर्णन करता है जो बच्चों के लिए सुरक्षित संगठनों की नींव हैं। इस सिद्धांत में प्रशिक्षण, बाल सुरक्षा उत्तरदायित्वों और सांस्कृतिक सुरक्षा अवधारणाओं को समझना, तथा कर्मचारी और स्वयंसेवकों का उचित पर्यवेक्षण भी शामिल है। रिपोर्ट करने की बाध्यताएँ, रिकॉर्डकीपिंग और जानकारी साझाकरण में प्रशिक्षण कर्मचारी और स्वयंसेवकों को बच्चों और युवा लोगों की बेहतर ढंग से सुरक्षा करने के लिए प्रासंगिक अभ्यास टूल्स प्रदान करते हैं।

मुख्य कार्यवाही क्षेत्र:

5.1 भर्ती, जिसमें विज्ञापन, रेफ़री जाँच, तथा कर्मचारी और स्वयंसेवक की भर्ती पूर्व जाँच शामिल है, बाल सुरक्षा और कल्याण पर जोर देती है।

5.2 प्रासंगिक कर्मचारी और स्वयंसेवकों की बच्चों के साथ काम करने संबंधी वर्तमान जाँच या समकक्ष पृष्ठभूमि जाँच हो चुकी है।

5.3 सभी कर्मचारी और स्वयंसेवक उचित निर्देश पाते हैं तथा बच्चों और युवा लोगों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों, रिकॉर्डकीपिंग, जानकारी साझाकरण और रिपोर्ट करने की बाध्यता समेत, के प्रति जागरूक हैं।

5.4 चालू पर्यवेक्षण और लोग प्रबंधन बाल सुरक्षा और कल्याण पर केंद्रित है।

संकेत कि यह सिद्धांत कायम रखा गया है:

- संगठन कर्मचारी और स्वयंसेवकों के लिए विज्ञापन देते समय, उनकी जाँच और भर्ती करते समय बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है।
- कर्तव्य विवरण, चयन मापदंड और रेफ़री जाँच दर्शाते हैं कि बच्चों और युवा लोगों को अहमियत और सम्मान दिया जाता है, बाल सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्धता, बच्चों के विकास संबंधी जरूरतों और सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित कार्यप्रणालियों की समझ।
- संगठन के नियोक्ताओं, कर्मचारी और स्वयंसेवकों ने पृष्ठभूमि जाँच आवश्यकताएँ पूरी कर ली है।
- कर्मचारी और स्वयंसेवक संगठन की बाल सुरक्षा नीति और प्रक्रियाओं को समझते हैं और अपने रिकॉर्डकीपिंग, जानकारी साझाकरण और रिपोर्ट करने की जिम्मेदारियों का पालन करते हैं।
- चालू कर्मचारी सहायता, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन प्रबंधन प्रक्रियाओं में बाल सुरक्षा के तत्व शामिल हैं।
- संगठन कर्मचारी और स्वयंसेवकों के लिए उचित रिकॉर्डकीपिंग प्रणालियाँ और प्रोटोकॉल कायम रखता है।
- संगठन में जोख़िम की निगरानी करने और उसे करने के लिए व्यापक टूल्स और प्रक्रियाएँ हैं।

सिद्धांत 6

शिकायतों और चिंताओं पर प्रतिक्रिया करने हेतु प्रक्रियाएँ बच्चों पर केंद्रित होती हैं।

CRC का अनुच्छेद 42: बच्चों को अपने अधिकार जानने का अधिकार है! वयस्कों को इन अधिकारों के बारे में जानना चाहिए और उन्हें यह सब सीखने में बच्चों की मदद भी करनी चाहिए।

यह सिद्धांत इस पर मार्गदर्शन प्रदान करता है कि मानव संसाधन नीतियों और कार्यप्रणालियों तथा प्रभावी शिकायत प्रबंधन प्रक्रियाओं को किस प्रकार बच्चों और युवा लोगों, परिवारों, कर्मचारी और स्वयंसेवकों के लिए पहुँच योग्य और प्रतिक्रियाशील होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया आचार संहिता से जोड़ दी जाएगी और इसकी जानकारी प्रदान करेगी कि आचार संहिता का उल्लंघन कहाँ हुआ। प्रशिक्षण कर्मचारी और स्वयंसेवकों को उपेक्षा, तैयारी, और नुकसान के दूसरे स्वरूपों की पहचान करने और उनके प्रति प्रतिक्रिया करने, और इन मामलों में बच्चों और युवा लोगों को उचित सहायता प्रदान करने और उनकी कानूनी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की शिकायतों, निजता विचारों, सुनने के कौशल, नुकसान के प्रकटीकरण और रिपोर्ट करने की बाध्यताओं के प्रति प्रतिक्रिया करने में सहायता करने वाला प्रशिक्षण शामिल है।

मुख्य कार्यवाही क्षेत्र:

6.1 संगठन में एक पहुँच योग्य, बाल केंद्रित शिकायत प्रबंधन नीति है जो विभिन्न प्रकार की शिकायतों, प्रासंगिक नीतियों या आचार नीति के उल्लंघनों तथा कार्यवाही और रिपोर्ट करने की बाध्यताओं से निपटने में नेतृत्व, कर्मचारी और स्वयंसेवकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों, और निपटान के प्रति दृष्टिकोणों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है।

6.2 प्रभावी शिकायत प्रबंधन प्रक्रियाएँ बच्चों और युवा लोगों, परिवारों, कर्मचारी और स्वयंसेवकों को समझ में आ जाती हैं, और सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित होती हैं।

6.3 शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है, और उनके प्रति तुरंत और पूरी तरह से कार्यवाही की जाती है।

6.4 संगठन में ऐसी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित हैं जो प्रासंगिक अधिकारियों को शिकायतें और चिंताएँ रिपोर्ट करने के मामलों को संबोधित करती हैं, भले ही कानून रिपोर्ट करना आवश्यक करता हो या नहीं, और कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करती हैं।

6.5 रिपोर्ट करने, निजता और रोजगार संबंधी कानूनी बाध्यताएँ पूरी होती हैं।

संकेत कि यह सिद्धांत कायम रखा गया है:

- कर्मचारी और स्वयंसेवक अपनी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों, रिपोर्ट करने की और निजता बाध्यताओं तथा प्रकटीकरण के प्रति प्रक्रिया करने हेतु प्रक्रियाओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वे संगठन के भीतर आचार संहिता के उल्लंघनों की ओर ध्यान खींचने और इन आचरणों को चुनौती देने के लिए सशक्त और समर्थित महसूस करते हैं।
- शिकायत प्रबंधन नीति बच्चों और युवा लोगों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देती है तथा नीति को समझने और उसका उपयोग करने में परिवारों और समुदायों की भूमिका पहचानती है।
- नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शिकायत या जाँच-पड़ताल के सभी पक्षों के प्रति निष्पक्षता के लिए सम्मान, उपयुक्त होने पर सहायता और जानकारी समेत, प्रदर्शित करती हैं।
- कर्मचारी और स्वयंसेवकों को बच्चों और युवा लोगों द्वारा चिंताए या परेशानी व्यक्त करने तथा नुकसान प्रकट करने के अलग-अलग तरीकों का अच्छा ज्ञान होता है।

- सभी शिकायतों और चिंताओं के बारे में जानकारी, प्रासंगिक नीतियों या आचार संहिता के उल्लंघन समेत, रिकॉर्ड की जाती है और प्रक्रिया, समयसीमा और रिकॉर्ड कीपिंग कार्यप्रणाली के संबंध में विश्लेषित होती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यवस्थागत समस्याओं की पहचान की जाती है और उन्हें कम किया जाता है।
- बच्चे और युवा लोग जानते हैं कि असुरक्षित महसूस होने पर उन्हें किससे बात करनी चाहिए और क्या होगा।
- चिंताएँ बताने वाले या शिकायत करने वाले बच्चे और युवा लोगों, परिवारों, कर्मचारी और स्वयंसेवकों को समय-समय पर फ़ीडबैक प्रदान किया जाता है। इसमें घटनाओं, चिंताओं और शिकायतों के बारे में वापस रिपोर्ट करना शामिल है।

सिद्धांत 7

कर्मचारी और स्वयंसेवक निरंतर शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों और युवा लोगों को सुरक्षित रखने के ज्ञान, कौशल और जागरूकता से लैस होते हैं।

CRC का अनुच्छेद 19: बच्चों को चोट और दुर्व्यवहार, शरीर या दिमाग में, से बचाए जाने का अधिकार होता है।

यह सिद्धांत कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के लिए जानकारी, चालू शिक्षा और प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देता है। कर्मचारी और स्वयंसेवक पेशेवर सेमिनार और सदस्यताओं, पर्यवेक्षित साथी चर्चाओं, टीम प्रशिक्षण के दिनों तथा शोध और प्रकाशनों के माध्यम से अपने ज्ञान और कौशल तथा प्रमाण आधारित अभ्यास टूल्स के आधार पर आगे के काम करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी और स्वयंसेवक बच्चों और युवा लोगों के प्रति अपने रवैयों के प्रति जागरूकता और परिज्ञान विकसित करते हों, और उनमें बाल विकास, सुरक्षा और कल्याण की समकालीन समझ हो। वे बच्चों को नुकसान के संकेतकों की पहचान करने, बच्चों और युवा लोगों तथा उनके परिवारों के प्रति प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने और उनके सहकर्मियों की सहायता करने में सक्षम होते हैं। कर्मचारी और स्वयंसेवक उन बच्चों और युवा लोगों के प्रति सांस्कृतिक रूप से उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने में सक्षम होते हैं जो प्रकट करते हैं या संकेत दिखाते हैं कि वे संगठन के अंदर या बाहर नुकसान का अनुभव कर रहे हैं।

कर्मचारी और स्वयंसेवक रिकॉर्डकीपिंग, और निर्मित रिकॉर्ड के संभावित उपयोगों और श्रोताओं के संबंध में बच्चों और युवा लोगों के अधिकारों के मामलों में प्रशिक्षित होते हैं।

मुख्य कार्यवाही क्षेत्र:

7.1 कर्मचारी और स्वयंसेवक संगठन की बाल सुरक्षा और कल्याण नीति को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षित और समर्थित होते हैं।

7.2 कर्मचारी और स्वयंसेवक बच्चों को नुकसान के संकेतकों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षण और जानकारी पाते हैं जिसमें दूसरे बच्चों और युवा लोगों द्वारा नुकसान शामिल है।

7.3 कर्मचारी और स्वयंसेवक बाल सुरक्षा और कल्याण की समस्यायों के प्रति प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने तथा नुकसान का प्रकटीकरण करने वाले सहकर्मियों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षण और जानकारी पाते हैं।

7.4 कर्मचारी और स्वयंसेवक इसके लिए प्रशिक्षण और जानकारी पाते हैं कि बच्चे और युवा लोगों के लिए सांस्कृतिक सुरक्षित परिवेशों का निर्माण कैसे करें।

संकेत कि यह सिद्धांत कायम रखा गया है:

- संगठन कर्मचारियों को बाल सुरक्षा और कल्याण नीतियों और प्रक्रियाओं तथा प्रमाण आधारित कार्यप्रणाली पर शिक्षित करने और प्रशिक्षण प्रदान करने के नियमित अवसर प्रदान करता है।
- संगठन उन कर्मचारी और स्वयंसेवकों के लिए सहायक और सुरक्षित परिवेश प्रदान करता है जो बच्चों और युवा लोगों के नुकसान या जोख़िम को प्रकट करते हैं।
- कर्मचारी और स्वयंसेवक बच्चों और युवा लोगों के बारे में निर्मित हो रहे रिकॉर्ड और उनके उपयोग के संबंध में बच्चों और युवा लोगों के अधिकारों पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।
- कर्मचारी और स्वयंसेवक बच्चों को नुकसान के संकेतकों की श्रृंखला की पहचान करते हैं।
- कर्मचारी और स्वयंसेवक बाल सुरक्षा और कल्याण या सांस्कृतिक सुरक्षा की समस्याएँ सामने आने पर प्रभावशाली ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं।

सिद्धांत 8

वास्तविक और ऑनलाइन परिवेश बच्चों और युवा लोगों को नुकसान पहुँचाने वाले अवसरों को कम करते हुए सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देते हैं।

CRC का अनुच्छेद 17: बच्चों को रेडियो, समाचारपत्रों, किताबों, कंप्यूटरों और अन्य स्रोतों से वे अधिकार पाने का अधिकार है जो उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। वयस्कों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को मिल रही जानकारी नुकसानदेह न हो, और उन्हें बच्चों को जरूरी जानकारी खोजने और समझने में मदद करना चाहिए।

यह सिद्धांत विशिष्ट रूप से दर्शाता है कि वास्तविक और ऑनलाइन परिवेश में नुकसान के खतरे को कम करना एक महत्वपूर्ण निवारक प्रक्रिया है। जोख़िम प्रबंधन रणनीतियाँ संभावित खतरों को स्पष्ट करती हैं जहाँ वयस्क से बच्चे या बच्चे से बच्चे के बीच बातचीत होती है, या जहाँ वास्तविक परिवेश असुरक्षित होती है।

संगठन के भीतर तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म शिक्षण, संवाद और सहायता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण टूल प्रदान करते हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े जोख़िम सभी आवश्यक उपायों के माध्यम से कम किए जाते हैं, जिसमें निम्न शामिल हैं: बच्चों और युवा लोगों, माता-पिताओं, कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को ऑनलाइन व्यवहार की अपेक्षाओं के बारे में शिक्षित करना; सुरक्षा फ़िल्टरों का अनुप्रयोग; और संवाद प्रोटोकॉल।

मुख्य कार्यवाही क्षेत्र:

8.1 कर्मचारी और स्वयंसेवक बच्चों के निजता, जानकारी तक पहुँच, सामाजिक संपर्कों और शिक्षण अवसरों के अधिकार से समझौता किए बगैर ऑनलाइन और वास्तविक परिवेशों में जोख़िम की पहचान करते हैं और उन्हें कम करते हैं।

8.2 ऑनलाइन परिवेश का उपयोग संगठन की आचार संहिता तथा बाल सुरक्षा और कल्याण नीति और कार्यप्रणालियों के अनुसार किया जाता है।

8.3 जोख़िम प्रबंधन योजनाएँ संगठनात्मक सेटिंग्स, गतिविधियों, और वास्तविक परिवेश से होने वाले खतरों पर विचार करती हैं।

8.4 तृतीय पक्षों से परिसर और सेवाएँ प्राप्त करने वाले संगठनों के पास अधिप्राप्ति नीतियाँ होती हैं जो बच्चों और युवा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

संकेत कि यह सिद्धांत कायम रखा गया है:

- संगठन की जोख़िम प्रबंधन रणनीति वास्तविक और ऑनलाइन खतरों को संबोधित करती है, जिसमें बच्चे से बच्चे और वयस्क से बच्चे के बीच होने वाली बातचीत, तथा वास्तविक जगहों की अवस्था और प्रकृति के कारण होने वाले खतरे शामिल हैं।
- संगठन की नीतियाँ सीखने, संवाद करने और सहायता प्राप्त करने के लिए बच्चों और युवा लोगों द्वारा सुरक्षित ऑनलाइन एप्लिकेशन के उपयोग को बढ़ावा देती हैं।
- संगठन उन तरीकों पर विचार करता है जिससे वास्तविक परिवेश सांस्कृतिक सुरक्षा को बढ़ावा दे सके।
- कर्मचारी और स्वयंसेवक वास्तविक और ऑनलाइन खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने के मामले में अग्रसक्रिय होते हैं।

- कर्मचारी और स्वयंसेवक संगठन की आचार संहिता और प्रासंगिक संवाद प्रोटोकॉल के अनुसार ऑनलाइन परिवेश पर पहुँचते हैं और उनका उपयोग करते हैं।
- बच्चों और युवा लोगों और उनके परिवारों को संगठन की प्रौद्योगिकी और सुरक्षा टूल्स के उपयोग के बारे में सांस्कृतिक रूप से उचित तरीके से बताया जाता है।
- परिसर और सेवाएँ प्रदान करने वाले तृतीय पक्ष ठेकेदारों के पास बच्चों और युवा लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय होता है।

सिद्धांत 9

राष्ट्रीय बाल सुरक्षा सिद्धांतों के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा और सुधार की जाती है।

CRC का अनुच्छेद 29: बच्चों की शिक्षा उनके अपने कौशल और क्षमताओं का उपयोग और विकास करने में सहायक होनी चाहिए। इसे उन्हें शांतिपूर्वक जीने, पर्यावरण की रक्षा करने और दूसरे लोगों का सम्मान करना सीखने में भी मदद करना चाहिए।

यह सिद्धांत इस पर जोर देता है कि बच्चों के लिए सुरक्षित संगठन बच्चों के लिए सुरक्षित सेवाओं की डिलीवरी और अपने संचालन को निरंतर सुधारने की कोशिश करते हैं। वे समीक्षाएँ भी करते रहते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संगठनात्मक नीतियाँ और प्रक्रियाएँ, रिकॉर्डकीपिंग कार्यप्रणालियाँ समेत, कर्मचारी और स्वयंसेवकों द्वारा क्रियान्वित हो रही हैं। कर्मचारी, स्वयंसेवकों, बच्चों और युवा लोगों, परिवारों और समुदायों की इन समीक्षाओं में भागीदारी और जुड़ाव संगठन की बच्चों को सुरक्षित रखने की क्षमताओं को मजबूत करेगी। इसमें समीक्षाओं के निष्कर्ष की रिपोर्ट करने, अच्छी कार्यप्रणाली और सीख नियमित रूप से साझा करने का महत्व शामिल है। नियमित समीक्षाएँ सुनिश्चित करती हैं कि संगठन नई चुनौतियों या चिंताओं को संबोधित करे।

मुख्य कार्यवाही क्षेत्र:

9.1 संगठन अपनी बाल सुरक्षा कार्यप्रणालियों की नियमित रूप से समीक्षा, मूल्यांकन और सुधार करता है।

9.2 शिकायतों, चिंताओं और सुरक्षा घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है ताकि कारणों और व्यवस्थागत विफलताओं की पहचान हो सके और निरंतर सुधार हो सके।

9.3 संगठन प्रासंगिक समीक्षाओं के निष्कर्षों के बारे में कर्मचारियों और स्वयंसेवकों, समुदायों और परिवारों तथा बच्चों और युवा लोगों को बताता है।

संकेत कि यह सिद्धांत कायम रखा गया है:

- संगठन बच्चों और युवा लोगों, माता-पिताओं और समुदायों का अपनी बाल सुरक्षा और कल्याण नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों की नियमित समीक्षाओं में भागीदारी की कोशिश करता है।
- बाल सुरक्षा और कल्याण संकेतक समीक्षाओं के लिए उपयोग होने वाले दस्तावेजों में शामिल होते हैं।
- बाल सुरक्षा कार्यप्रणालियों में सुधार करने के लिए समीक्षा के परिणामों पर विचार किया जाता है और उन्हें क्रियान्वित किया जाता है।
- शिकायतों का नियमित विश्लेषण बाल सुरक्षा कार्यप्रणालियों में सुधार प्रदर्शित करता है।

सिद्धांत 10

नीतियाँ और प्रक्रियाएँ दस्तावेजीकरण करती हैं कि संगठन किस प्रकार बच्चों और युवा लोगों के लिए सुरक्षित है।

CRC का अनुच्छेद 4: संगठनों की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। वे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए परिवारों की सहायता कर सकते हैं और ऐसा परिवेश बना सकते हैं जिसमें बच्चे बढ़ सकें और अपनी क्षमता तक पहुँच सकें।

यह सिद्धांत संगठनों के पास स्पष्ट रूप से दस्तावेजीकृत बाल सुरक्षा और कल्याण नीति होने के महत्व को रेखांकित करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी साझेदार, संगठनात्मक कर्मचारी और स्वयंसेवक, बच्चे और युवा लोग और उनके परिवार और देखभालकर्ता समेत, जानते हों कि संगठन बच्चों के लिए सुरक्षित परिवेश बनाने की अपनी बाध्यताओं को किस प्रकार पूरा करने की योजना बना रहा है। भागीदार एजेंसियों या बच्चों और युवा लोगों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए फंड किए गए संगठनों को बाल सुरक्षा और कल्याण नीतियों और कार्यप्रणालियों का अनुपालन प्रदर्शित करना चाहिए।

नीतियों और प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण पूरे संगठन में बाल सुरक्षा कार्यप्रणालियों का समान रूप से लागू होना सुनिश्चित करता है। यह संगठनों को बाल सुरक्षा और कल्याण सिद्धांतों और कार्यप्रणालियों के अनुपालन की समीक्षा प्रक्रियाओं के माध्यम से जाँच करने में भी सक्षम बनाता है।

मुख्य कार्यवाही क्षेत्र:

10.1 नीतियाँ और प्रक्रियाएँ सभी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा सिद्धांतों को संबोधित करती हैं।

10.2 नीतियाँ और प्रक्रियाएँ दस्तावेजीकृत और समझने में आसान होती हैं।

10.3 श्रेष्ठ कार्यप्रणाली मॉडल और साझेदारों के साथ परामर्श नीतियों और प्रक्रियाओं के विकास में सहायता करता है।

10.4 लीडर नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का समर्थन करते हैं और उसका प्रतिरूप बनाते हैं।

10.5 कर्मचारी और स्वयंसेवक नीतियों और प्रक्रियाओं को समझते हैं और उनका क्रियान्वयन करते हैं।

संकेत कि यह सिद्धांत कायम रखा गया है:

- संगठन की बाल सुरक्षा और कल्याण नीति व्यापक है और इन सभी दस सिद्धांतों को संबोधित करती है।
- संगठन की बाल सुरक्षा और कल्याण नीति और प्रक्रियाएँ ऐसी भाषा और प्रारूप में दस्तावेजीकृत हैं जो कर्मचारी, स्वयंसेवकों, परिवारों तथा बच्चों और युवा लोगों को आसानी से समझ आ जाती हैं और पहुँच योग्य हैं।
- संगठन की नीतियों और प्रक्रियाओं का ऑडिट इसका प्रमाण प्रदान करता है कि संगठन किस प्रकार अपने संचालन, नेतृत्व और संस्कृति के माध्यम से बच्चों के लिए सुरक्षित है।
- संगठन के भीतर कार्यप्रणाली पूरे बोर्ड में समनुरूप होती है तथा बाल सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित कार्य प्रणालियाँ समेत, का पालन करती है।
- बच्चों और युवा लोगों, परिवार और समुदाय के सदस्यों का साक्षात्कार या सर्वेक्षण बाल सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने वाली संगठन की नीतियों और प्रक्रियाओं में भरोसा और उनके प्रति जागरूकता को प्रदर्शित करता है।
- अधिकारी, कर्मचारी और स्वयंसेवकों के सर्वेक्षण संगठन की नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली आवश्यकताओं की बहुत अच्छी समझ दिखाते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग को ऑस्ट्रेलिया सरकार के सामाजिक सेवा विभाग द्वारा बच्चों के लिए सुरक्षित संगठनों हेतु राष्ट्रीय सिद्धांतों पर परामर्शों और उनके विकास की अगुआई के लिए नियुक्त किया गया था। लक्ष्य बच्चों और युवा लोगों की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सभी संगठनात्मक सेटिंग्स में संस्कृतियों का निर्माण करना है।

राष्ट्रीय सिद्धांतों के क्रियान्वयन और संबंधित स्रोतों के विकास पर राष्ट्रीय क्षेत्र के संगठनों के साथ कार्य जारी है।

बच्चों के लिए सुरक्षित संगठनों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ जाएँ:

https://childsafe.humanrights.gov.au/

इनसे संपर्क करें: childsafe@humanrights.gov.au

बाल सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यालय के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ जाएँ:

https://pmc.gov.au/domestic-policy/national-office-child-safety

इनसे संपर्क करें: NationalOfficeforChildSafety@pmc.gov.au